

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 92/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पॉन्डेन्ट
1- भीखाराम पुत्र केहराराम 2- बगताराम पुत्र केहराराम 3- पदमाराम पुत्र केहराराम 4- विशनाराम पुत्र केहराराम 5- जोधाराम पुत्र उरजाराम 6- डालाराम पुत्र उरजाराम 7- द्युतराराम पुत्र उरजाराम 8- रतनाराम पुत्र उरजाराम 9- बिडदाराम पुत्र कानाराम 10- रामुराम पुत्र नवलाराम 11- नोजी पत्नी नवलाराम सभी जातियान जाट निवासीगण ग्राम डऊकियो का बास, चेराई तहसील तिवरी, जिला जोधपुर		1- धोकलराम पुत्र राजुराम 2- हिमताराम पुत्र राजुराम 3- अमानाराम पुत्र राजुराम 4- जेठाराम पुत्र लाबूराम 5- बगताराम पुत्र लाबूराम 6- किसनाराम पुत्र लाबूराम 7- मोहनराम पुत्र रामुराम 8- भंवरूराम पुत्र रामुराम 9- भीयाराम पुत्र रामुराम 10- भानाराम पुत्र रामुराम 11- दीपाराम पुत्र बुधाराम सभी जातियान जाट निवासीगण ग्राम डऊकियो का बास, चेराई तहसील तिवरी जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध
आदेश दिनांक 28-5-2019 जो राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 6/2019 अनवान
भेराराम बनाम भीखाराम मे उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित किया गया।

राजस्व अपील संख्या 121/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पॉन्डेन्ट
1- वरजु पत्नी स्व० चौखाराम 2- कुम्भाराम पुत्र स्व० चौखाराम 3- यशोदा पुत्री स्व० चौखाराम 4- ईश्वरलाल पुत्र स्व० चौखाराम 5- आरती पुत्री स्व० चौखाराम सभी जातियान जाट निवासीगण डऊकियो का बास, चेराई तहसील तिवरी, जिला जोधपुर		1- धोकलराम पुत्र राजुराम 2- हिमताराम पुत्र राजुराम 3- अमानाराम पुत्र राजुराम 4- जेठाराम पुत्र लाबूराम 5- बगताराम पुत्र लाबूराम 6- किसनाराम पुत्र लाबूराम 7- मोहनराम पुत्र रामुराम 8- भंवरूराम पुत्र रामुराम 9- भीयाराम पुत्र रामुराम 10- भानाराम पुत्र रामुराम 11- दीपाराम पुत्र बुधाराम 12- भीखाराम पुत्र केहराराम 13- बगताराम पुत्र केहराराम 14- पदमाराम पुत्र केहराराम 15- विशनाराम पुत्र केहराराम 16- जोधाराम पुत्र उरजाराम 17- डालाराम पुत्र उरजाराम 18- द्युतराराम पुत्र उरजाराम 19- रतनाराम पुत्र उरजाराम 20- बिडदाराम पुत्र कानाराम 21- रामुराम पुत्र नवलाराम 22- नोजी पत्नी नवलाराम सभी जातियान जाट निवासीगण ग्राम डऊकियो का बास, चेराई तहसील तिवरी, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध
आदेश दिनांक 28-5-2019 जो राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 6/2019 अनवान
भेराराम बनाम भीखाराम मे उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति:-

- 1- श्री बाबूलाल विश्णोई (अपील सं० 92/2019 में) एवं श्री रामविलास मुण्डेल
(अपील सं० 121/2019 में) अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।।
- 2- श्री ए.आर.बेनीवाल, अधिवक्ता रेस्पों सं० 1 से 6 एवं 8, 11 की ओर से।
- 3- शेष रेस्पों बावजुद तामिल के अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 10-12-2019

उक्त दोनो अपीलो का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उक्त अपीलो के रेस्पों संख्या 1 से 10 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि खसरा नंबर 2957 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा भूमि खातेदारी कब्जा काश्त की है जो ग्राम डऊकियो का बास की सरहद मे आई हुई है, इस भूमि के पडौस मे उत्तर दिशा मे अप्रार्थी संख्या 1 (वर्तमान अपील के रेस्पों संख्या 11 दीपाराम) की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 2963 रकबा 78.08 बीघा एवं उत्तरी पूर्वी दिशा मे खसरा नंबर 2959 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा भूमि आई हुई है। अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे उल्लेख किया कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जा काश्त सुदा भूमि की सीमाओ को आगे पीछे करके खुर्द-बुर्द करना शुरू कर दिया इसलिए प्रार्थीगण ने अपने खेत की पैमाईश करवाई एवं जहां सीमाएं आ रही थी, वहां पत्थर लगाने शुरू किये तो अप्रार्थीगण ने रूकावट पैदा की एवं मौके पर लडाई-झगडा करने हेतु आमदा है इसलिए अप्रार्थीगण संख्या 1 से 10 ने अपने खातेदारी के खेत की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां ने बाद सुनवाई अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28-5-2019 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए तहसीलदार तिवरी को आदेशित किया कि टीम गठित कर सेटलमेंट विभाग जोधपुर द्वारा किये गये सीमाज्ञान दिनांक 9-5-2019 के अनुसार राजस्व ग्राम डऊकियो का बास चेराई के खसरा नंबर 2957 की भूमि का उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे पुनः सीमाज्ञान कर पत्थरगढी की जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28-5-2019 से व्यथित होकर अपीलांटगण ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। उक्त अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों के सम्मन जारी किये गये।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित है। वकील पक्षकारान की बहस सुनी। अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को गलत रूप से धारा

111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में दर्ज कर कार्यवाही की है, जबकि उक्त धारा के प्रावधान वर्तमान प्रार्थना पत्र में कतई लागू नहीं होते हैं। अपीलांत अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पैमाईश रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से पूर्व में कायम माटो का हवाला दे रखा है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित विवाद धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम की परिभाषा में नहीं आता परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान पर गौर किये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो क्षेत्राधिकार विहित होने से निरस्त योग्य है।

अपीलांत अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वर्तमान अपीलांतगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना तथा बिना कोई जांच करवाये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांत अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 2-4-2019 को अधिवक्ता ने अपना वकालातनामा प्रस्तुत किया तथा आगामी पेशी दिनांक 21-5-19 को रखी गई तथा दिनांक 21-5-19 को पीठासीन अधिकारी स्वयं उपस्थित नहीं होने से सीलनुमा आदेशिका से पत्रावली दिनांक 28-5-2019 को रखते हुए अपीलाधीन आदेश न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों की पालना किये बिना पारित किया है, जो निरस्त योग्य है।

वकील अपीलांत ने यह भी कथन किया कि यदि किसी खातेदार ने गलत रूप से माट कायम कर दी तो उस माट को हटाने का इन धाराओं में प्रावधान केवल 90 दिन के लिए ही लागू होता है, उसके पश्चात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान के तहत ही कार्यवाही की जा सकती है न कि धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है।

वकील अपीलांत ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि ग्राम बेरडो का बास की सीमा पर आई हुई है जिसके नेकम बिन्दु कायम किये गये किन्तु उनको आधार मानकर नाप नहीं किया गया जबकि बानो का बास राजस्व ग्राम की सीमाओं की तरफ से नाप बताया है। उक्त ग्राम की सीमा के नेकम बिन्दु रिपोर्ट दिनांक 12-2-19 के अनुसार सही नहीं होते हुए भी एकतरफा नाप किया गया तथा यह भी कथन किया कि अप्रार्थी के खातेदारी में खसरा नंबर 2958 गैर मुमकीन ढाणी आई हुई है जिसको भी अपने नाप में खसरा नंबर 2957 में शामिल कर लिया अर्थात् बंदोबस्त के समय के नाप को भी नकारते हुए जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है।

वकील अपीलांत ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सभी खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया परंतु इस कानूनी

प्रावधान को नजरअंदाज करते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है। अंत में वकील अपीलांट ने उक्त दोनो अपीलो को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28-5-2019 को स्वीकार करने का निवेदन किया।

रेस्पोंगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत होना बताते हुए अपीलांट अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर में धारा 111 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि धारा 111 खेतों की सीमाओं संबंधी विवाद के संबंध में ही है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंगण द्वारा प्रस्तुत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को उनके क्षेत्राधिकार का होने से अपीलाधीन आदेश के जरिये निर्णित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से अपीलांट की उक्त दोनो अपीलो को खारीज करने का निवेदन किया।

वकील रेस्पोंगण ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय से अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने पर उनकी ओर से अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत कर उपस्थित हो गये थे तथा अपीलाधीन आदेश में भी अप्रार्थी अधिवक्ता की उपस्थिति दर्ज है इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि अप्रार्थीगणों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो।

वकील रेस्पोंगण ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को पढ़कर सुनाया तथा कथन किया कि अपीलाधीन आदेश के जरिये तहसीलदार तिवरी को आदेशित किया कि सेटलमेंट विभाग द्वारा गठित टीम द्वारा सम्पन्न सीमाज्ञान दिनांक 9-5-2019 अनुसार राजस्व ग्राम डरुकिया का बास चैरोई के खसरा नंबर 2957 की भूमि का उभय पक्षकारान की उपस्थिति में पुनः सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करे। इस संबंध में रेस्पोंगण अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलांट का यदि यह कथन मान भी लिया जाये कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया तो अब अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट एवं रेस्पोंगण दोनो की उपस्थिति में सीमाज्ञान कराने के निर्देश दिये हुए हैं तो अपीलांट तहसीलदार के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28-5-2019 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनो अपीलो को खारीज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर गहनता से अध्ययन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमें उपलब्ध दस्तावेजात, अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28-5-2019 एवं अपील संख्या 90/2019 एवं 92/2019 के अपीलांट अधिवक्ता ने आज फार्म नंबर 3 के सलंगन उक्त दोनो अपीलो के अपीलांटगण की

ओर से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां के समक्ष प्रस्तुत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 का वाद एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का भी अवलोकन किया, जो शामिल पत्रावली है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील के रेस्पोंगण संख्या 1 से 10 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि खसरा नंबर 2957 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा भूमि उनके खातेदारी कब्जा काश्त की है जो ग्राम डऊकियो का बास की सरहद में आई हुई है, इस भूमि के पडौस में उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 (वर्तमान अपील के रेस्पोंगण संख्या 11 दीपाराम) की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 2963 रकबा 78. 08 बीघा एवं उत्तरी पूर्वी दिशा में खसरा नंबर 2959 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा भूमि आई हुई है तथा प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि की सीमाओं को आगे पीछे एवं खुर्द बुर्द करने को उतारू है इसलिए प्रार्थीगण अपने खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि की पैमाईश करने का निवेदन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोंगण ने फार्म नंबर 3 के सलंगन प्रार्थना पत्र में उल्लेखित खसरा नंबरान की जमाबंदिया तथा उक्त खसरा नंबरान की भूमि की पैमाईश करने के संबंध में तैयार की गई मौका फर्द दिनांक 12-2-2019 एवं 9-5-2019 तथा नक्शा ट्रेस आदि का भी अवलोकन किया। इन तमाम दस्तावेजात के अवलोकन एवं अध्ययन के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने तथा अपीलाधीन आदेश पारित करने में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं की जाना पाया जाता है।

जहां तक अपीलांत का यह कथन कि उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित है, इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका का अवलोकन करने पर आदेशिका दिनांक 2-4-2019 अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 2 से 12 की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थिति देकर वकालातनामा प्रस्तुत कर दिया था तथा अपीलाधीन आदेश में भी अधिवक्ता रेस्पोंगण की उपस्थिति दर्ज है तो अपीलांत का यह कथन सही नहीं माना जा सकता है कि अपीलाधीन आदेश बिना सुनवाई के पारित किया गया हो।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार करते हुए तहसीलदार तिवरी को आदेशित किया कि टीम गठित कर सेटलमेंट विभाग जोधपुर द्वारा किये गये सीमाज्ञान दिनांक 9-5-2019 के अनुसार राजस्व ग्राम डऊकियो का बास चेराई के खसरा नंबर 2957 की भूमि का उभय पक्षकारान की उपस्थिति में पुनः सीमाज्ञान कर पत्थरगढी की जावें। ऐसे में वर्तमान अपीलांत को भी सुनकर नये सिरे से सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की कार्यवाही की जायेगी

इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही विधिवत पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं होगा ।

वर्तमान मामले में यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि पत्रावली पर उपलब्ध पैमाईश मौका फर्द दिनांक 12-2-2019 में यह स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है कि अपीलाधीन भूमि दो गांवों के बीच की सीमा पर स्थित होने से रकबा ओवरलेप हो रहा है इसलिए भू प्रबंध विभाग के तकनीकी सहयोग से ही पैमाईश संभव है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने भू प्रबंध विभाग के कर्मचारियों की मौजूदगी दिनांक 9-5-2019 को सम्पन्न मौका फर्द अनुसार दोनों पक्षकारान की उपस्थिति में पुनः सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी बाबत अपीलाधीन आदेश दिनांक 28-5-2019 को पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से अपीलाटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनों अपीले सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28-5-2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 10-12-2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

